राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	5818/2015	प्रभुलाल मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, बीकानेर। 3. उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, अजमेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) भीलवाड़ा।
2.	5791/2015	नन्दकिशोर शर्मा	
3.	5817/2015	सोमेश्वर प्रसाद व्यास	

आदेश की दिनांक : 20.08.2024

उपस्थित–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोपाल आचार्य, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तीनों अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से न्यायहित में अपील संख्या 5818/2015 प्रभुलाल मीणा बनाम शासन सचिव, माध्यचमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए तीनों अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।
2. अपील संख्या 5818/2015 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 27.01.1977 के तहत हुई थी। इसके पश्चात् अपीलार्थी की स्थाई नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–III के पद पर दिनांक 01.07.1977 से की गई। इसके पश्चात चयनित वेतनमान दिये जाने हेतु नोटिफिकेशन दिनांक 25.01.1992 प्रभाव में आया जिसके अनुसरण में अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतन का लाभ दिया जाकर वेतन श्रृंखला 1400–2600 देय की जाकर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 07.07.1992 के तहत स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 01.07. 1995 को वेतन श्रृंखला 2000–3200 देय की गई। 18 वर्षीय चयनित वेतनमान पर देय वेतन श्रृंखला 2000–3200 राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 1998 के तहत आगामी वेतन श्रृंखला 6500–10500 में मर्ज की गई तथा 1998 के वेतनमान नियम के तहत दिनांक 01.09.1996 से अपीलार्थी को आगामी वेतन

श्रृंखला 6500–10500 स्वीकृत की गई थी। इसके पश्चात् नोटिफिकेशन दिनांक 07.08.1998 के द्वारा उक्त वेतन श्रृंखला को 5500–9000 में स्थानांतरण किये जाने से व्यथित होकर कर्मचारियों में पुनः 6500–10500 दिनांक 01.07.1998 से दिये जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थी। उक्त रिट याचिकाएं चन्द्रमोहनसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा निर्णित कर सभी द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों को 01.07.1998 से 6500–10500 की वेतन श्रृंखला स्वीकृत की गई। इसी दौरान अपीलार्थी को तृतीय वेतन श्रृंखला से पदोन्नति की जाकर द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की गई। अपीलार्थी आदेश दिनांक 02.04.1997 के तहत द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किये जाने से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यग्रहण किया। कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा दिनांक 01.01.2005 को अध्यापकों व वरिष्ठ अध्यापकों को वरिष्ठ/चयनित वेतनमान स्वीकृत के संबंध में एक आदेश जारी किया गया। इसके पश्चात् राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 दिनांक 01.09.2006 को प्रभाव में आया। फलस्वरूप अपीलार्थी को उक्त वेतन श्रृंखला 6500–10500 को दिनांक 01.09.2006 द्वारा फिक्सेशन किया जाकर पे–ग्रेड 4200 देय की गई। आयुक्त माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा एक आदेश दिनांक 02.02.2011 जारी किया जाकर तृतीय वेतन श्रृंखला से द्वितीय वेतन श्रृंखला पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक को ए.सी.पी. स्वीकृति के कम में आदेश जारी किया गया जिसमें विभाग द्वारा यह कहा गया कि तृतीय वेतन श्रृंखला से द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में ग्रेड–पे 4200 से अधिक देय नहीं है। उक्त आदेश से व्यथित होकर द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं प्रस्तुत की, जो भंवरलाल सोनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान से कवर्ड की जाकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तृतीय ए.सी.पी. के तहत दिये गये आदेश दिनांक 02.02.2011 को निरस्त किया गया तथा तृतीय ए.सी.पी. के आगामी ग्रेड पे 4800 देय किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया तथा उक्त आदेश के साथ ही साथ शिक्षा विभाग द्वारा आदेश कमांक पी–17 (48) शिक्षा–2/विप्र/2012 जयपुर दिनांक 18.10.2012 जारी किया गया। इसके पश्चात निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 29.05.2013 जारी किया जाकर अपीलार्थी को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)ए के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी की

पदोन्नति व्याख्याता स्कूल शिक्षा अंग्रेजी (पुरूष) के पद पर वर्ष 2008–2009 के विस्तारित पात्रता के आधार पर बकाया रहे आरक्षित वर्ग के पदों की रिक्तियों के तहत व्याख्याता स्कूल शिक्षा अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.02.2014 जारी किया जाकर अपीलार्थी को एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 9063/2011 ज्योति स्वरूप यादव एवं अन्य में निर्णय दिनांक 29.06.2011 के अनुसरण में तृतीय ए.सी.पी. की स्वीकृति प्रदान की जाकर वित विभाग के आदेश दिनांक 12.10.2012 (18.10.2012) के अनुसरण में तृतीय ए.सी.पी. पर ग्रेड पे 4200 दिनांक 01.09.2006 से स्वीकृत की गई। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की हैः–

> ''1. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी को दिनांक 12.10.2012 (18.10.2012) एवं उसकी पालना में जारी आदेश दिनांक 20.02.2014 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करे एवं अपीलार्थी को तृतीय ए.सी.पी. के तहत 4800 ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करें।
> 2. यह है कि अपीलार्थी को तृतीय ए.सी.पी. के तहत 4800 ग्रेड पेय स्वीकृत किये जाकर समस्त सेवा लाभ एवं परिलाभ मय ब्याज सहित अपीलार्थी को दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे।
> 3. अन्य कोई उचित आदेश जो न्यायालय उचित समझे सादर दिलाया जाये।''

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिनांक 18.10.2012 पारित किया गया, जिसमें अध्यापक ग्रेड तृतीय पर नियुक्त दिनांक 01.07.1998 से पूर्व वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत अध्यापकों को तृतीय एसीपी स्वीकृत किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि ऐसे अध्यापक जिन्हें तृतीय एसीपी स्वीकृति से पूर्व में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उन्हें तृतीय एसीपी में ग्रेड 4200 स्वीकृत की जाये। अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 12.04.1997 को पदोन्नत हुआ था। ऐसे में अपीलार्थी की दिनांक 01.09.2006 को 10 वर्ष की सेवाएं वरिष्ठ वेतनमान में पूरी नहीं थी। ऐसे में अपीलार्थी 4800 ग्रेड पाने का अधिकारी नहीं है।
4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
5. राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाईज पे–स्केल) नियम, 1998 में सामान्य बिन्दु संख्या–8 में निम्न प्रावधान किया गया हैः–

Subject :- Rajasthan Civil Services (Revised pay scales) Rules, 1998

General note :-

The senior Teachers drawing pay in the first selection grade of 6500-10500 shall continue to draw pay in the scale as senior scale without considering the eligibility period of service for the senior scale prescribed under this order. This provision shall also be applicable to the respective equivalent posts mentioned above.

वस्तुतः यह प्रावधान उन वरिष्ठ अध्यापकों के लिए था, जो प्रथम चयनित वेतनमान 6500–10500 में ले रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक दो तरह के है। प्रथम जिनकी सीधी भर्ती वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई एवं जिनकी सेवा में प्रवेश के समय वेतन श्रृंखला 5500–9000 निर्धारित की गई एवं प्रथम चयनित वेतनमान 10 वर्ष की सेवा पर 6500–10500 निर्धारित किया है एवं वरिष्ठ श्रृंखला में 8 वर्ष की सेवा पर द्वितीय चयनित वेतनमान 7500–10500 नियत किया गया है। द्वितीय प्रकार के वे वरिष्ठ अध्यापक जो अध्यापक ग्रेड–पे III से पदोन्नत होकर वरिष्ठ अध्यापक बने उनके अध्यापक ग्रेड–III के प्रवेश पर वेतन श्रृंखला 4500–7000 निर्धारित है एवं प्रथम चयनित वेतनमान 10 वर्ष की सेवा पर 5000–8000 नियत है, परन्तु सामान्य बिन्दु संख्या 8 में पदोन्नति से वरिष्ठ अध्यापक बने कार्मिकों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं होने से समस्त वरिष्ठ अध्यापकों का जो चयनित वेतनमान 6500–10500 में ले रहे थे, का वेतन नियतन 6500–10500 वेतन श्रृंखला में कर दिया गया। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अधिसूचना दिनांक 08.06.2001 जारी की गई। इसमें उक्त नियम 1998 के सामान्य बिन्दु संख्या 8 को यथावत रखा जाकर उसे 8(i) क्रमांकित किया गया एवं उसके नीचे दो बिन्दु जोड़े गये जो निम्नानुसार हैः–

"(ii) The teacher (earstwhile Teacher grade III) drawing pay in the second seletion grade of 6500-10500 and promoted as Senior Teacher prior to 1.7.1989 shall draw pay in the scale of 6500-10500 as senior scale of Senior Teacher. Those Senior Teachers who have not completed nine years service as Senior Teacher on 1.7.1998, their pay on 1.7.1998 shall be fixed in the pay scale of 5500-9000 and such Senior Teachers shall be allowed pay in the senior scale of 6500-10500 on completion of ten years service as Senior Teacher.

(iii) As a result of re-fixation of pay in accordance with the provisions contained in clause (ii) above, the recovery of overpayment, if any, shall stand waived for the period from 1.7.1998 to the date of issue of this Notification.

इस अधिसूचना दिनांक 08.06.2001 द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भर्ती कार्मिकों की स्थिति को स्पष्ट किया गया एवं जो

अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.1998 को 9 वर्ष की सेवाएं पूर्ण नहीं हुई है उन्हें दिनांक 01.07.1998 को 5500–9000 में वेतन नियतन किया जावेगा एवं उन वरिष्ठ अध्यापकों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला 6500–10500 में 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर देय होगी एवं पूर्व में गलत वेतन नियतन की वजह से अधिक भुगतान की गई राशि को दिनांक 01.07.1998 सवे अधिसूचना तिथि (08.07.2001) की अवधि को माफ कर दिया गया।

इस अधिसूचना के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अनेक याचिका दायर हुई एवं माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा उनको स्वीकृत किया गया, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील 208/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम रामनिवास पोरवाल तथा अन्य समान 41 प्रकरणों में दिनांक 13.12.2007 का निर्णय से यह विवाद निर्णित किया गया। इसमें यह निर्णित किया गया है किः–

"However, it may be clarified that because of the provisions made in Note 8 read with Note appended to Rule 6a Senior Teacher drawing pay in second selection grade of 6500-10500 prior to 1.7.1998 and promoted as senior Teacher but after 1.7.1989 who has not completed 10 years as senior Teacher at the time of commencement of the Act his pay in pay-scale of 6500-10500 was protected as personal to him, though he would become eligible to such scale under the new rules of 1998 only on completion of 10 years. In this view of the matter, the rights of the respondents even under the aforesaid provision remain intact and unaffected and it could not have any adverse effect on them.

But those who have been promoted as Senior Teachers drawing their pay in Second Selection Grade of 6500-10500 will not be eligible for this pay protection because even under the Rules of 1998 as initially exist, they were to be promoted to senior Scale, which was Rs.5500-9000 only. But because of lacuna in the Rules originally enacted, not providing any specific provision, their fixation has been wrongly made by considering all Senior Teachers to be of the same category. The initial fixation in higher pay-scale being without any mistake on their part, until Notification of amendment, the resultant recoveries of excess amount paid to them has been waived.

Accordingly, with the clarification the appeals are allowed. The judgment aforesaid under appeal declaring Notification dated 8.7.2001 to be ultravires is set aside. However, the view which we have taken on interpretation of the Rules, the existing teachers who have been promoted as Senior Teacher in the second Selection Grade prior to commencement of the Rules at any time but because of non-completion of 10 years of service as Senior Teacher under the revised rules were required to be fixed in lower pay-scale, their continuance in the higher pay-scale was

protected as pay-scale personal to them under Note to Rule 6. The rights of all the appellants stand protected to this extent. In that light, the writ petitions filed by the appellants stand allowed to that extent.

उक्त निर्णय के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.06.2019 द्वारा यह निर्णय किया कि जिन कार्मिकों ने याचिकाएं दायर की है उनको माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार लाभ प्रदान किया जा चुका है परन्तु अन्य समान प्रकरणों जिनमें न्यायिक प्रकरण नहीं है उनको भी समान रूप से लाभ दिया जायेगा। उक्त आदेश का प्रभावी अंश नियमानुसार हैः–

''अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस निर्णय रूप सभी प्रकरणों में उन अध्यापकों को जिनका कोई न्यायिक प्रकरण नहीं है एवं जो दिनांक 01.07.1998 से पूर्व चयनित वेतनमान के वेतनमान के रूप में वेतनमान (6500–10500) में वेतन प्राप्त कर रहे थे को उक्त चयनित वेतनमान का परिलाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 के नियम 6 के नीचे अंकित टिप्पणी के अनुसार व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में प्राप्त होगा।''

जिन कार्मिकों की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दिनांक 01.07. 1989 से पश्चात् हुई एवं दिनांक 01.07.1998 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई है एवं दिनांक 01.07.1998 से पूर्व से चयनित वेतनमान के रूप में वेतनमान 6500–10500 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो उक्त चयनित वेतनमान का परिलाभ व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में देय होगा। अर्थात् अधिक प्राप्त कर रहे वेतन को भविष्य की पदोन्नति/चयनित वेतनमान/ एसीपी इत्यादि में समायोजन किया जायेगा एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर 6500–10500 का चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी का वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति दिनांक 01.07.1989 के पश्चात् परन्तु दिनांक 01.07.1998 से पहले होने से वेतन नियतन वेतनमान 5500–9000 में होना था, परन्तु वेतन नियतन 6500–10500 में होने से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत विभागीय आदेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा उक्त चयिनत वेतनमान 6500–10500 का परिलाभ व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में स्वीकृत किया गया।

राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे स्केल्स) रूल्स 2008 के अन्तर्गत Assured Carrer Progression (ACP) का प्रावधान किया गया है। आदेश

दिनांक 02.02.2011 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3375/2011 भंवर लाल सोनी बनाम राजस्थान राज्य एवं समान अन्य 12 प्रकरणों में निर्णय दिनांक 08.02.2012 द्वारा इसे निर्णित कियाः—

"In the light of aforesaid discussion, there is no illegality in the circular/ order dated 2.2.2011 but default lies in regard to its implementation. The order dated 2.2.2011 is not applicable to erstwhile Teacher Gr III drawn selection grade of Rs.6500-10500 and promoted to the post of Senior Teacher on or before 1.7.1989 and Teachers Gr III, who have been given promotion to the post of Senior Teacher on or before 1.7.1998 and have completed 10 years of service thus become entitled for the pay scale of Rs.6500-10500 and thereafter entitled to the benefit of third ACP having not given benefit of three financial up-gradation earlier and if benefit of third financial up-gradation was given then they were fixed in the pay scale of Rs.7500-12000.

The other Teachers; who were initially appointed as Teacher Gr III and were not given benefits mentioned in para above, would be governed by the circular dated 2.2.2011.

The respondents are directed to undertake necessary exercise in view og the clarification and directions given above. However, respondents are restrained to recover the amount paid to the petitioners even if it is found in excess to their entitlement as payment was not made to the petioners on account of their misrepresentation or fraud but was at the instance of respondents themselves. Accordingly, the respondents are directed to carry out the directions and it goes without saying that while applying the revised Rules of 2008, Rule 6 (2) would also be taken note of."

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त निर्णय की अनुपालना में आदेश दिनांक 12.10.2012 जारी किया। इसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः—

"As per the above judgement the Senior Teachers, who were drawing pay in the personal grade pay of Rs. 4200/- and have not completed service of 10 years on the post of Senior Teachers before grant of third ACP, shall be granted third ACP in the grade pay of Rs. 4200/-. On grant of third ACP in the grade pay of Rs. 4200/-, the pay of such Senior Teachers shall be increased equal to 3% of the sum of the pay in the RPB and the grade pay of Rs. 4200/-.

The Senior Teachers of following categories, are eligible for hird ACP in the grade pay of Rs. 4800/-.

(1). Teacher Gr. III drawing pay in the second selection grade of 6500-10500 and promoted to the post of Senior Teacher prior to 01.07.1989 and were allowed to draw pay in the pay scale of 6500-10500 a Senior Scale of Senior Teacher.

(2). The Teacher Gr.-III, who have been promoted as Senior Teacher between the period from 01.07.1989 to 30.06.1998 (both days inclusive) and have completed 10 years of service before 01.09.2006 and thus the personal pay scale of 6500-10500 has been converted into Senior Scale of Senior Teacher.

The authorities competent to grant ACP to Senior Teachers, are directed to grant third ACP to Senior Teachers as clarified above.

These directions are being issued with the FD(Rules) vide their ID No.221201438 dated 04.10.2012."

6. उक्त तथ्यों के दृष्टिगत स्पष्ट है कि तीनों प्रकरणों में अपीलार्थीगण को ग्रेड–पे 6500–10500 उनको व्यक्तिगत वेतनमान में स्वीकृत थी। अपील संख्या 5818/2015 प्रभुलाल मीणा बनाम राजस्थान राज्य में अपीलार्थी की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दिनांक 02.04.1997 को हुई थी। ऐसे में उपरोक्त विवेचना के अनुसार अपीलार्थी को वर्ष 2006 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 10 वर्ष पूरे नहीं होने से ग्रेड–पे 4800 देय नहीं है।

7. अपील संख्या 5791/2015 नन्दकिशोर शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.12.1993 को वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति का परित्याग कर दिया गया था और अपीलार्थी को पुनः वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दिनांक 01.02.1997 को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार अपीलार्थी ने दिनांक 01.09.2006 तक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 10 वर्ष पूरे नहीं किये थे। अतः अपीलार्थी उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्रेड–पे 4800 पाने का अधिकारी नहीं है।

8. अपील संख्या 5817/2015 सोमेश्वर प्रसाद व्यास बनाम राजस्थान राज्य में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.09.1970 से सेवा अवधि की गणना करते हुए 27 वर्ष की सेवा दिनांक 01.09.1997 को पूरी होने पर उन्हें 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। अपीलार्थी सोमेश्वर प्रसाद व्यास की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.1989 के बाद पदोन्नत हुआ था। उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम पाते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.10.2012 के अनुसार जिन वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति दिनांक 01.07.1989 से पूर्व हुई है उन्हें ही ग्रेड–पे 4800 देय है। अपीलार्थी सोमेश्वर प्रसाद व्यास की पदोन्नति दिनांक 01.02.1995 को हुई थी। अतः अपीलार्थी 4800 ग्रेड–पे पाने का अधिकारी नहीं होता है। इसके अलावा भी अपीलार्थी पूर्व में तीन एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.1997 को

प्राप्त कर चुका है। इस आधार पर भी अपीलार्थी 4800 ग्रेड–पे पाने का अधिकारी नहीं होता है।

9. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर तीनों अपीलों में हम अपीलार्थीगण को 4800 ग्रेड–पे दिये जाने के अनुतोष को स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं पाते हैं। अतः तीनों अपीलें खारिज की जाती है।

10. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 5818/2015 में एवं आदेश की छाया प्रति उपरोक्त तालिका में अंकित शेष अन्य दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)